**पाठ्यक्रम के क्षेत्र (SCOPE OF CURRICULUM)**

सामान्य बोलचाल की भाषा में विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु जो कुछ किया जाता है, उसे पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम को कुछ निश्चित शब्दों में बाँधने अथवा परिभाषित करने का प्रयास भी किया है, किन्तु पाठ्यक्रम के विस्तार क्षेत्र की सीमाएँ सुनिश्चित कर पाना अत्यन्त कठिन कार्य है। फिर भी कतिपय मानवीय शैक्षिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर पाठ्यक्रम के विस्तार क्षेत्र की सीमाओं को चिह्नांकित करने का प्रयास किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व में पाठ्यक्रम की संकल्पना में परिवर्तन आते हैं, किन्तु बीसवीं सद के उत्तरार्द्ध से पाठ्यक्रम का क्षेत्र निरन्तर व्यापकता की ओर बढ़ रहा है तथा इसके अन्तर्गत विविध प्रवृतियो का समावेश होता चला आ रहा है। इसके क्षेत्र के विस्तार की गति वर्तमान समय में इतनी तेज है कि उसकी सीमा को चिह्नांकित करते हो, उसमें कई अन्य प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। इसी स्थिति को देखकर बबिट महोदय ने कहा भी है, "**उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और चाँबीसों घण्टे की जा रही क्रियाएँ पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आ जाती हैं**।"

प्रारम्भ में पाठ्यक्रम का सीमा क्षेत्र विषयों को निर्धारित पाठ्य-वस्तु तक ही सीमित था तथा शिक्षा का उद्देश्य सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त करना होता था, किन्तु बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक समाजशास्त्र एवं शैक्षिक दर्शनशास्त्र आदि व्यवहार सम्बन्धी विज्ञानों का तीव्र गति से विकास हुआ जिसका प्रभाव पाठ्यक्रम निर्माण पर भी पड़ा। साथ ही शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में किये गये अनुसंधानों का पाठ्यक्रम के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पूर्व में यह धारणा महत्त्वपूर्ण थी कि यदि शिक्षक अपने विषय ज्ञान का अच्छा जाता है तथा विषय वस्तु पर इसका स्वामित्व है तो वह सफल शिक्षण भी कर सकता है तथा वह ज्ञान बालकों को भी प्रदान कर सकता है, किन्तु यह धारणा प्राय: गलत सिद्ध होती हुई देखी गई। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से इस तथ्य की पुष्टि हो गई है कि जब तक शिक्षार्थी नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार न हो उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है। साथ ही किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही बालक के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब तक बालक उस नवीन ज्ञान को आत्मसात् नहीं का लेता तब तक व्यावहारिक दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। इस प्रकार विभिन्न शोधों के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि अधिगम का परिपक्वता से सम्बन्ध होता है तथा अधिगम में व्यक्तिगत भेदों एवं प्रत्यक्ष अनुभव की विशेष भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण ने विद्यालयों के कार्यों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। अब विद्यालयों का कार्य बालकों को ज्ञान देने के स्थान पर ऐसी स्थितियाँ प्रस्तुत करना माना जाने लगा। है जो बालकों को स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सके। इस धारणा के फलस्वरूप क्रिया आधारित पाठ्यक्रम को संकल्पना प्रस्तुत की गई जिसमें पाठ्य-वस्तु के महत्त्व को बनाये रखते हुए उसके चयन एवं क्रियान्वयन के आधार को परिवर्तित कर दिया गया।

अनुभव एवम् क्रिया आधारित पाठयक्रम को दिशा मे सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया राज्य को है जहाँ पर शिक्षाविदों ने शिक्षा के लक्ष्य को सूचनात्मक ज्ञान से हटाकर 'सम्पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण की ओर निर्देशित किया। इन शिक्षाविदों ने दो प्रमुख प्रश्नों-बालक को किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए ? तथा उसे सामाजिक प्राणी होने के कारण किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? के विस्तृत उत्तरों के आधार पर शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित किया। इन शिक्षाविदों ने यह अनुभव किया कि शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु समुचित परिवेश सामाजिक जीवन के स्वाभाविक कार्यों को पूरा करने में ही मिल सकता है। अतः पाठ्यक्रम को ऐसे कार्यों पर आधारित करने का निश्चय किया गया, जिसके फलस्वरूप ' विषय-वस्तु' के रूप में प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम का स्थान ऐसी अभिवृत्तियों, अवबोधनों, योग्यताओं एवं क्षमताओं आदि ने ले लिया जो सामान्य सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। इस प्रकार पाठ्यक्रम 'पाठ्य सामग्री की सूची' के स्थान पर अधिगमानुभवों' के रूप में परिभाषित किया जाने लगा और इसे इस संकल्पना के रूप में प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई।

इस प्रकार वर्तमान समय में विद्यालय का कार्य क्षेत्र समयबद्ध पठन पाठन के सीमित घेरे से निकलकर एक व्यापक रूप धारण कर चुका है तथा इसमें निरन्तर वृद्धि भी होती जा रही है, जिसके कारण इसकी सीमाएँ निश्चित कर पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। चूँकि विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सभी प्रवृत्तियाँ पाठ्यक्रम का हो अंग होती हैं, अत: पाठ्यक्रम के विस्तार क्षेत्र का निर्धारण करना भी उतना हो कठिन कार्य हैं। फिर भी शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम को उसके अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के आधार पर सीमांकित करने का प्रयास किया है।

**माइकेल पेलार्डी** के अनुसार, "सामान्यतया पाठ्यक्रम को विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका दायित्व विद्यालय अपने ऊपर लेता है। इस रूप में पाठ्यक्रम का तात्पर्य प्राय: उन क्रमिक कार्यों से है जो इन अनुभव से पूर्व, इनके होने के साथ-साथ तथा इन अनुभवों के बाद आयोजित किये जाते हैं।" इन कार्यों को निम्नलिखित आठ वर्गों में समाहित किया जा सकता है 1

1. लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण,

2. बालकों के संज्ञानात्मक विकास का पोषण

3. बालकों के मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन,

4 अधिगम हेतु व्यवस्था,

5. शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग,

6 छात्रों का व्यक्तिगत बोध तथा उसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था,

7. समस्त कार्यक्रमों एवं बालकों के कार्यों का मूल्याकन,

8 नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य।

इन उपयुक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए विद्यालयों में जिन प्रवृत्तियों का आयोजन किया जाता है उनके प्रकार एवं संख्या में बहुत विविधता भी पाई जाती है, किन्तु व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें तीन प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है

। शैक्षिक क्रियाएँ

2. पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

3 रुचि कार्य।

1. **शैक्षिक प्रवृत्तियाँ अथवा क्रियाएँ (Educational Activities or Curricular Activities)** यद्यपि विद्यालयों के समस्त क्रिया-कलापों के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र की सभी प्रवृत्तियाँ वे जहाँ भी, जिस रूप में भी चाहे जब भी आयोजित की जाती हों शैक्षिक ही होती हैं, किन्तु सामान्य रूप से उन्ही

प्रवृत्तियों को शैक्षिक कहा जाता है, जिनका नियोजन कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों के पठन-पाठन की दृष्टि से किया जाता है। इन प्रवृत्तियों का आयोजन मुख्य रूप से कक्षा-कक्षों में विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन के रूप में किया जाता है, किन्तु वर्तमान में व्यावहारिक ज्ञान अधर प्रायोगिक कार्यों का पाठ्यक्रम में समावेश होने तथा नवीन शिक्षण विधियों द्वारा बालकों की सक्रियता पर अधिक बल देने के फलस्वरूप प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ तथा पुस्तकालय आदि शैक्षिक प्रवृत्तियों के कार्य स्थल बन गये हैं। इसके साथ ही अब अधिगम- अनुभवों अर्थात् विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर भी अधिक बल दिया जाने लगा है। । उद्देश्य को पूर्ति हेतु विभिन भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों के भ्रमण एवं सर्वेक्षण आदि भी आयोजित किये जाते हैं जहाँ पर छात्र जाकर वास्तविक स्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः इन्हें भी शैक्षिक प्रवृत्तियों में हो सम्मिलित किया जाता है।

2. **पाठ्य सहगामी क्रियाएँ (Co-curricular Activities)**

प्रारम्भ में पाठ्यक्रम का क्षेत्र विभिन्न विषयों को पाठ्य-वस्तुओं के अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित माना जाता था। विद्यालयों में आयोजित होने वाली अन्य प्रवृत्तियों, जैसे—खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप आदि को पाठ्येत्तर क्रियाएँ (Extra curricular activities) माना जाता था, परन्तु पाठ्यक्रम के व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर अब इन प्रवृत्तियों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएँ आयोजित

की जाती हैं जिन्हें कुछ प्रमुख वर्गों में निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है

(i) **शारीरिक विकास सम्बन्धी क्रियाएँ**-इसके अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.), व्यायाम, खेलकूद, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, हाइकिंग, तैराकी, नौकायन आदि क्रियाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण, रोगों से बचने के उपाय, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान, शुद्ध एवं पौष्टिक आहार (मध्याह्न भोजन) आदि बातों को समाहित किया जाता है।

(ii) **साहित्यिक क्रियाएँ**-इसके अन्तर्गत भाषण कला, वाद-विवाद, विचार गोष्ठी, कार्य संगोष्ठी,

कविता-पाठ, अन्त्याक्षरी, परिचर्चा, वार्त्ता, आशुभाषण, पत्रिका प्रकाशन, लेखन, समाचार एवं पत्रवाचन तथा

पुस्तकालय एवं वाचनालय के उपयोग आदि से सम्बन्धित प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है।

(iii) **सांस्कृतिक क्रियाएँ**-इसके अन्तर्गत एकल अभिनय, मूल अभिनय, नाटक प्रहसन, संगीत, नृत्य

एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। (iv) **सृजनात्मक क्रियाएँ**- इस वर्ग में बालकों की रचना सम्बन्धी प्रवृत्तियों, जैसे—चित्रकारी, पच्चीकारी, दस्तकारी, बागवानी, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण एवं नवीनता किया जाता है। खोज आदि को समाहित

(v) **सामाजिक क्रियाएँ**–विद्यालयों द्वारा बालकों के माध्यम से सफाई अभियान, साक्षरता का प्रसार, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार अभियान आदि को संचालित करना इसके अन्तर्गत आता है।

(vi) **राष्ट्रीय क्रिया कलाप**- इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय दिवसों एवं राष्ट्रीय नेताओं को जयन्तियों को मनाना, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.), स्काउटिंग, रेडक्रास, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन एस. एस.), आपात काल में देश एवं समाज सेवा तथा आन्तरिक सुरक्षा में सहयोग, साम्प्रदायिक सद्भाव में सहयोग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में सहयोग आदि प्रवृत्तियाँ आती हैं।

3. **रुचि कार्य (Hobbies)**

इसके अन्तर्गत वे प्रवृत्तियों आती हैं जिनका आयोजन विद्यालयों द्वारा बालकों की रुचियों का समुचित विकास करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में विभिन्न वस्तुओं, जैसे- टिकट, सिक्के, पत्थर आदि का संग्रह करना, चित्र एवं कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना, बेकार पड़ी चीजों से उपयोगी वस्तुएँ बनाना, विभिन्न प्रकार के चित्रों के एलबम तैयार करना आदि शामिल हैं।